कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) शिक्षा जैसलमेर

क्रमांकः–जिशिअ / माध्य / जैसल / संस्था–1 / कनिष्ठ सहायक / नियु. / 2018 / 1889 दिनांकः– 09/03/2018

कार्यालय आदेश

श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक–शिविरा / माध्य / साप्र / बी–1 / 2856 / आरपीएससी–2013 / 17–18 दिनांक 22.02.2018, दिनांक 25.02.18, दिनांक 28.02.18 एवं दिनांक 07.03.18 की पालना में चयनित कनिष्ठ सहायकों को निदेशालय स्तर पर दिनांक 05.03.18 को काउन्सलिंग के माध्यम से जिला एवं विद्यालय का चयन किये जाने के उपरान्त संलग्न सूची में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम –2017 के प्रावधानानुसार वेतन लेवल–05 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष की अवधि के लिए नियमानुसार देय नियत मानदेय 14600/–रू. प्रतिमाह (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं। इनकी नियुक्ति राजस्थान सिविल सेवा एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 तथा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.8(1) कार्मिक / क–2 / 2003 दिनांक 09.6.2003 के प्रावधानानुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

उक्त नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–द्वितीय (कनिष्ठ सहायक) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2013 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी सिविल याचिका संख्या 1693/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम अनिल कुमार व अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 की अनुपालना में अस्थाई परिणाम दिनांक 07.07.2017 को को घोषित किये जाने के उपरान्त तथा आवंटित पदों पर नियुक्तियों के संबंध डी. बी. अपील संख्या 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवणसिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 व अन्य याचिकाओं/अपीलों के अंतिम निर्णय के अध्याधीन तथा एसबीसी वर्ग में अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों में से अस्थाई रूप से अस्पष्ट रूप से पाये गये अभ्यर्थी जिनका परिणाम माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464–1466/2017 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम कैप्टन गुरूवेन्द्र सिंह एवं अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के अध्यधीन रहेगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगेः–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी से संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त की जावें। यदि अभ्यर्थी का चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत नहीं करता हैं तो भी आचरण की जांच का इंतजार नहीं किया जावें एवं अभ्यर्थी से सदाचरण संबंधी शपथ पत्र **(Undertaking)** प्राप्त कर कार्यग्रहण करवाया जावें। बाद में पुलिस सत्यापन अभ्यर्थी के आचरण के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी। यदि किसी अभ्यर्थी की उनको पूर्व में आवंटित विभाग द्वारा जांच करवा ली गई हैं तथा जो अभ्यर्थी पहले से ही राज्य सेवा में कार्यरत हैं तो उनका पुनः सत्यापन करवाया जाना आवश्यक नहीं हैं।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी से सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।

3. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः एफ7(1) डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 10/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

4. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की जाती है अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 10/–रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

5. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से नियुक्ति दिये जाने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे, मिलान में यदि कोई भिन्नता की स्थिति पाई जावे तो उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगे।

6. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दें। **उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरांत ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को कार्यग्रहण प्रदान करने सम्बन्धी कार्यवाही करें।** अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र में यह भी प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता हैं अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रिमीलेयर का नहीं हैं तथा उक्त तथ्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। **यदि कोई अभ्यर्थी क्रिमीलेयर की श्रेणी में आता हैं तो उनको कार्यग्रहण नहीं कराया जावें** तथा उनके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावें।

7. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र पर चस्पा छाया चित्र(फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी नियुक्ति प्राप्त करे, जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र(फोटो) चस्पा है।

8. नियुक्त आशार्थियों के कार्यग्रहण कराने से पूर्व उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवें।

9. **कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रूटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।**

10. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने सम्बन्धी वचनबंधता **(Undertaking)** निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

11. उक्त पद पर कार्यग्रहण करने पर, इनके कार्यग्रहण की सूचना तुरन्त इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे।

क्र0सं0	वरीयता क्रमांक	मेरिट संख्या	रोल न0	नाम अभ्यार्थी	जन्मतिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान	ब्लॉक
1	941	3633	672398	ASHOK VISHNOI	04.02.93	OBC	राउमावि खेतोलाई	सांकड़ा
2	993	3848	585906	JOGENDER KUMAR CHOUDHARY	10.03.93	OBC	राउमावि मण्डाई	सम
3	1442	5469	587561	HARKHA RAM	04.10.95	SC	रामावि साण्डा	सम

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 24.03.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी। संबंधित संस्था प्रधान इनके कार्यग्रहण एवं 10 नम्बर प्रपत्र की सूचना तत्काल शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट करेंगे एवं इस कार्यालय को कार्यग्रहण की सूचना तत्काल भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

नोटः— क्र.सं. 2 व 3 पर अंकित मेरिट क्रमांक 3848 एवं 5469 जो अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच में अनुपस्थित रहे हैं। जिनको कार्यग्रहण से पूर्व संबंधित संस्था प्रधानों को पाबन्द किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थीयों को कार्यग्रहण से पूर्व नियुक्ति अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रमाण पत्रों की जांच कराने हेतु निर्देशित किया जावें। नियुक्ति अधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच किये जाने के उपरान्त ही कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(मन्नाराम मीना)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक जैसलमेर

क्रमांकः—जिशिअ/माध्य/जैसल/संस्था—1/नियु. कनिष्ठ सहायक/2018/1890-1903 दिनांकः— 09/03/2018
प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप—2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप—2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. शासन उपसचिव, कार्मिक (क—2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
6. सचिव राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर
7. निदेशक, (माध्यमिक/प्रारंभिक) शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
8. उपनिदेशक, (माध्यमिक/प्रारम्भिक) शिक्षा विभाग जोधपुर
9. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा जैसलमेर।
10. संबंधित बीईईओ पं0स0 सम/सांकड़ा/जैसलमेर।
11. संबंधित संस्थाप्रधान...
12. संबंधित आशार्थी...पंजीकृत डाक द्वारा
13. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
14. वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक जैसलमेर